भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 116

सोमवार, 18 जुलाई, 2016/ 27 आषाढ़, 1938 (शक)

ईएसआईसी अस्पतालों के लिए एनएबीएच मान्यता

116. श्री सी एन जयदेवन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं हेतु ईएसआईसी में पैनलबद्घ होने के लिए बनाए गए नए मानदंडों के अनुसार अस्पतालों को एनएबीएच मान्यता प्राप्त करना होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में केरल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ईएसआई के साथ पैनलबद्घ अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या ईएसआई के साथ बहुत कम संख्या में एनएबीएच मान्यता वाले अस्पतालों को पैनलबद्घ किया गया है ताकि ईएसआई लाभार्थियों के लिए अस्पताल सेवाएं सीमित हों;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में एनएबीएच मान्यता वाले पैनलबद्घ अस्पतालों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र्-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का ईएसआई लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों को भी पैनलबद्घ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ड.): अस्पताल को संबद्ध किए गए विशेषत: अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड के द्वारा अधिकृत होने चाहिए। तथापि, जो अस्पताल नाभ द्वारा अधिकृत नहीं हैं, वे प्रावधिक रुप से पैनलबद्ध किए जा सकते हैं, जब तक कि वे छह माह की अवधि के भीतर **नाभ** अधिकरण प्राप्त नहीं करते हैं परन्तु उनके पैनलबद्ध होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक न हों।

कुछ क्षेत्रों में जहां कोई **नाभ** अधिकृत अस्पताल नहीं हैं वहां निर्धारित प्रक्रिया तथा निरीक्षण के पश्चात **गैर-नाभ** अस्पताल पैनलबद्ध किए जाते हैं।

(ख): आज की स्थिति के अनुसार पैनलबद्ध किए गए अस्पतालों की कुल संख्या 1192 है। ऐसे अस्पतालों की राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-वार सूची अनुबंध पर है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। ईएसआई लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु देश में पैनलबद्ध किए गए अस्पतालों की पर्याप्त संख्या है। **नाभ** अधिकृत अस्पतालों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध पर है।

******

अनुबंध

ईएसआईसी अस्पतालों के **नाभ** अधिकरण के संबंध में श्री सी.एन. जयदेवन के द्वारा दिनांक 18.07.2016 को नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के भाग (ख) और (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

पैनलबद्ध अस्पतालों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार सूची		
राज्य/संघ शासित प्रदेश	पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या	नाभ अधिकृत अस्पतालों की संख्या
आंध्र प्रदेश	22	03
बिहार	25	00
छत्तीसगढ़	09	03
दिल्ली	49	34
गुजरात	46	14
गोवा	05	01
हरियाणा	52	16
हिमाचल प्रदेश	17	07
जम्मू-कश्मीर	05	00
झारखंड	29	00
कर्नाटक	269	24
केरल	64	09
मध्य प्रदेश	11	00
महाराष्ट्र	149	03
ओडिशा	22	03
पांडिचेरी	05	00
पंजाब	65	09
राजस्थान	37	10
तेलंगाना	25	11
तमिलनाडु	175	07
उत्तर प्रदेश	43	08
उत्तराखंड	14	01
पश्चिम बंगाल	34	09
एनईआर	20	04
कुल	1192	176

*****